# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 92 / 2013 (उदयपुर डिक्री)**

1. भगवान पिता सवा जी गायरी, निवासी ग्राम थडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
2. भीमा पिता सवा जी गायरी, निवासी ग्राम थडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

................ अपीलान्टगण

**बनाम**

1. परशराम पिता दयाराम जी मेडावत ब्राहमण, निवासी ग्राम सेरिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
2. नाथू पिता पूंजा जी मीणा, निवासी ग्राम सेरिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती मोती बाई पत्नी नाथू जी मीणा, निवासी ग्राम आजादपुरा सेरिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
4. मोडा पिता कचरा जी मीणा, निवासी ग्राम आजादपुरा सेरिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
5. कालू पिता रूपा जी मीणा, निवासी ग्राम आजादपुरा सेरिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त.अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
दिनांक 12.11.2012 प्र.सं. 20 / 06

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– सुश्री प्रमोदनी बक्षी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री लीलाधर विश्नोई अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

**निर्णय** **दिनांक 12–03–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद बाबत इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सेरिया में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित साबिक आराजी नंबर 497/1, 497/2, 497/3, 498 से 504 कुल किता 10 रकबा 9¾ बीघा 1 बिस्वा स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 1198 से 1211 कुल किता 14 रकबा 2.10 हैक्टर हैं। उक्त आराजियात एक मात्र वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने से उपजिलाधीश सलुम्बर द्वारा प्रकरण संख्या 6/75 में पारित आदेश दिनांक 20–0271982 के आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1771 से वादीगण के खाते दर्ज है, जिसकी प्रविष्टि संवत् 2035 से 2038 की जमाबन्दी में भी है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, किन्तु गत सेटलमेन्ट के दौरान उक्त कृषि आराजियात का खाता प्रतिवादीगण के नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिये जाने के कारण वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः वाद वर्णित आराजियात प्रतिवादीगण के नाम से दुरस्त कर वादीगण के नाम दर्ज की जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर एवं साक्ष्य लेकर अपने निर्णय दिनांक 12–11–2012 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12–08–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्टगण की ओर से वकील श्री लीलाधर विश्नोई उपस्थित हुए, किन्तु वक्त बहस अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की मयाद एवं मेरिट पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16–07–2013 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12–11–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दिनांक

12–08–2013 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 7 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, किन्तु अपीलान्ट गायरी होकर ग्रामीण परिवेश के होने से एवं अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि सेटलमेन्ट के दौरान अपीलान्ट का नाम हटाकर रेस्पोन्डेन्ट का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार सेटलमेन्ट विभाग को नहीं है। अपीलान्ट का विवादित आराजीयात पर कब्जा है, जिसकी कोई जांच अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा साबिक आराजीयात के आधार पर अपीलान्ट के कब्जे काश्त की उक्त आराजियात की इन्द्राज दुरस्ती के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रदर्श 1 नामान्तरकरण संख्या 1771 के विशेष विवरण के कॉलम में अंकित है कि उपजिलाधीश सलुम्बर के मुकदमा नंबर 6/75 दिनांक 20–02–1982 के आधार पर पुराना कब्जा साबित होने से प्रार्थी सवा पिता पेमा गायरी को कब्जा सिपुर्द करने का आदेश हुआ, मौके पर कब्जा भगवान, भीमा पिता सवा गाडरी का है। उपजिलाधीश सलुम्बर का उक्त आदेश अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। इसी प्रकार प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 के विशेष विवरण के कॉलम में अंकित है कि रददोबदल इन्तकाल नंबर 917 दिनांक 18–11–1992 श्री परशराम वगैरह के बजाय श्री भगवान, भीमा पिता सवा गायरी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 अनुसार उक्त साबिक आराजी नंबरों से हाल आराजी नंबर 1198 से 1211 कुल किता 14 रकबा 2.10 हैक्टर बनना स्पष्ट है, जबकि प्रदर्श 4 अनुसार उक्त हाल आराजियात रेस्पोन्डेन्ट के नाम दर्ज है, जो प्रथम दृष्टया बिना अधिकार के होने से अपीलान्ट/वादीगण इन्द्राज दुरस्ती कराने के अधिकारी हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई

ध्यान नहीं दिया है, जबकि अपीलान्ट/वादीगण के खण्डन में रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–11–2012 अपास्त की जाती है तथा मौजा सेरिया स्थित हाल आराजी नंबर 1198 से 1211 कुल किता 14 रकबा 2.10 हैक्टर भूमि वादी/अपीलान्ट के नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 12–03–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एम.एल. चौहान)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम...............**उदयपुर**............
व इजलास ...............................**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** ...........................................

**भगवान पिता सवा जी गायरी, नि. ग्राम थडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर व अन्य** बनाम **परशराम पिता दयाराम जी मेडावत ब्राहमण, नि. ग्राम सेरिया, तहसील जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं...........**92/2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.........
..... **सलुम्बर** .......... मुकाम................मुवर्खे...........**12**..............माह.............**11**.............**2012**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**12**....माह........**03**.......सन् **2020** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी.......**सुश्री प्रमोदनी बक्षी**.........मिनजानिब अपीलान्ट व..........**श्री लीलाधर विश्नोई** ............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–11–2012 अपास्त की जाती है तथा मौजा सेरिया स्थित हाल आराजी नंबर 1198 से 1211 कुल किता 14 रकबा 2.10 हैक्टर भूमि वादी/अपीलान्ट के नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ..................................अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**12**.....माह.......**03**...........**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... ......... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा... | | |
| 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... | | | 2. स्टाम्प अर्जी ............... | | |
| 3. इजराय हुक्मनामा ....... | | | 3. इजराय हुक्मनामा ..... | | |
| 4. वकील फीस बाबत ......... | | | 4. मेहनताना वकील........... | | |
| मीजान ..... | | | मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 13:12:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: